तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट(एनआई एक्ट प्रकरण) क्रम–10** **जयपुर महानगर द्वितीय** **प्रकरण संख्या : 2192/2019 (267729/20)** **गोपीराम शर्मा बनाम मुकेश कुमार सैनी** **1**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29-10-25	परिवादी अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त अनुपस्थित, जिसकी हाजरी माफी का आवेदन जरिये अधिवक्ता पेश हुआ, जो केवल आज के लिए स्वीकार किया जाता है। इस आदेश द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् परिवादी से जिरह करवाए जाने दिनांकित 27.05.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि उक्त प्रकरण में मुलजिम के परिवार में किसी के बीमार होने के कारण मुलजिम न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। मुलजिम की हाजिरी माफी जरिए अधिवक्ता 9.45 बजे पेश कर दी गयी थी, उस समय तक परिवादी जिरह हेतु उपस्थित नहीं हो पाया था। समय 10 बजे अधिवक्ता का फोन आया एवं 11 जे के लिए मुलजिम अधिवक्ता द्वारा जिरह करने को बोला गया तथा मुलजिम के अधिवक्ता अन्य प्रकरण में जिरह करने में समय लग जाने के कारण 12 बजे उपस्थित हुए तब जानकारी हुई कि जिरह बंद कर दी गयी है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को परिवादी से जिरह का अवसर प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र की नकल परिवादी अधिवक्ता को दिलाई जा चुकी है, जिनके द्वारा मौखिक बहस कर कथन किया कि अभियुक्त को जिरह हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात् जिरह का अवसर समाप्त किया गया। अभियुक्त पक्ष की प्रकरण में देरी करने की मंशा है। हस्तगत प्रार्थना पत्र मात्र देरी करने के आशय से पेश किया गया है, जिसे मय हर्जे–खर्चे अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया। बहस उभयपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली व सुसंगत विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त को परिवादी से जिरह करने हेतु पूर्व में कई अवसर दिए जाने के पश्चात् भी जिरह न करने पर अभियुक्त का परिवादी से जिरह करने का अवसर दिनांक 27.05.2025 को बंद	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट(एनआई एक्ट प्रकरण) क्रम–10** **जयपुर महानगर द्वितीय** **प्रकरण संख्या : 2192/2019 (267729/20)** **गोपीराम शर्मा बनाम मुकेश कुमार सैनी** **2**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया गया, जिसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा उक्त दिनांक 27.05.2025 को ही हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश कर पुनः जिरह का अवसर दिए जाने बाबत् निवेदन किया गया। प्रकरण के सुसंगत निस्तारण हेतु पत्रावली पर दोनों पक्षों की साक्ष्य आना आवश्यक है। इस स्थिति में प्रार्थी को एक और अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस संबंध में प्रार्थी पर हर्जाना अधिरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रार्थी द्वारा पूर्व में परिवादी से जिरह न कर न्यायालय व परिवादी के अमूल्य समय की बरबादी की गयी है। लिहाजा, उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पेश किया गया हस्तगत प्रार्थना पत्र 2000/– रुपये की कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है। आगामी पेशी पर परिवादी के उपस्थित आने पर अधिवक्ता अभियुक्त आवश्यक रूप से जिरह करे अन्यथा जिरह का अवसर स्वतः बंद समझा जावेगा।

पत्रावली वास्ते जिरह परिवादी दिनांक **02.12.2025** को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट(एनआई एक्ट प्रकरण) क्रम–10** **जयपुर महानगर द्वितीय** **प्रकरण संख्या : 2192/2019 (267729/20)** **गोपीराम शर्मा बनाम मुकेश कुमार सैनी** **3**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए